

राजस्थान विधान सभा

सप्तम सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 29 अगस्त, 2011

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. याचिका का उपस्थापन

श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य, विधान सभा, जोधपुर में मधुबन हाउसिंग बोर्ड स्थित अस्पताल को समस्त चिकित्सीय सुविधायुक्त बनाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

3. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(1) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे

कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2011

(2011 का विधेयक संख्या-30)

"लोक प्राधिकारी द्वारा राज्य की जनता को नियत समय सीमाओं के भीतर-भीतर कतिपय सेवायें प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(2) राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2011

(2011 का विधेयक संख्या-26)

"राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(3) राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(I) श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(4) राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

(I) श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता (जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2011

"नगरीय पथ विक्रेताओं की जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय तथा इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

